

मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, भोपाल

::आदेशः

भोपाल, दिनांक ०५/१०/२०२२


क्रमांक ८८८०९७/२०२२/३८-१ :: म.प्र. शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन शाखा) में सेवारत डॉ.जी. एस.रोहित, प्राचार्य शासकीय कला एवं वाणिज्य अग्रणी महाविद्यालय, सागर का अपने कार्य के साथ साथ कार्यालय, क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, सागर संभाग, सागर का प्रभार भी सौंपा गया था।

२/ क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक का कार्यक्षेत्र पूरे संभाग के समस्त महाविद्यालयों की अकादमिक एवं प्रशासकीय व्यवस्था को सुचारु रूप से संचालन करने का होता है। इसके साथ ही प्राचार्य के पद का दायित्व भी संभालने से दोनो पदों पर कार्य करने से कार्य क्षमता प्रभावित होती है। अतः डॉ.जी.एस. रोहित, प्राचार्य को शासकीय कला एवं वाणिज्य अग्रणी महाविद्यालय, सागर के प्रभार से मुक्त करते हुए डॉ. प्रवीण शर्मा, प्राध्यापक, समाजशास्त्र, शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, सागर को अपने कर्तव्यों के साथ-साथ शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय सागर का प्रभारी प्राचार्य का दायित्व सौंपा जाता है।

म.प्र. शासन बुक ऑफ फायनेंशियल पावर्स खंड-१ (पृ २ उपभाग-१) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये एतद् द्वारा यह आदेशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार नियुक्त प्रभारी प्राचार्य डॉ. प्रवीण शर्मा, कार्यालय प्रमुख तथा आहरण एवं संवितरण अधिकारी के समस्त अधिकारों का उपयोग कर सकेंगे।

३/ डॉ.जी.एस.रोहित, क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, सागर संभाग, सागर के दायित्व का निर्वहन आगामी आदेश तक करेंगे। वेतन व्यवस्था महाविद्यालय के प्राचार्य पद से आहरित की जा रही थी, अब वेतन व्यवस्था क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, सागर के पद से की जाती है।


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(वीर सिंह मलावी)
अवर सचिव

म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा
भोपाल, दिनांक ०५/१०/२०२२

पृ क्रमांक ८८८०९७/२०२२/३८-१
प्रतिलिपि -

१. निज सहायक, मा. मंत्रीजी, म.प्र. शासन, उच्च विभाग, भोपाल।
२. स्टॉफ आफिसर, अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
३. आयुक्त, उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
४. संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश।
५. संबंधित प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, मध्यप्रदेश।
६. संबंधित कोषालय/उपकोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश।
७. संबंधित अधिकारी.....
की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ।


अवर सचिव
म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा